28.11.2022 **न्यायालय :– उत्सव चतुर्वेदी, अति. विशेष न्यायाधीश**
एन.डी.पी.एस.एक्ट, गरोठ जिला मंदसौर (म.प्र.)

रमेशसिंह चारण पिता सज्जनसिंह चारण, उम्र–34 वर्ष
निवासी–ग्राम मोरडी थाना गरोठ जिला मंदसौर (म.प्र.)
....आवेदक/अभियुक्त

विरुद्ध

राज्य द्वारा पुलिस थाना गरोठ जिला मंदसौर (म.प्र.)
....अनावेदक/ अभियोगी

Reg. No. SCNDPS 16/2022
अपराध क. 165/2022
धारा– 8/15, 29, 25 एन.डी.पी.एस.एक्ट

शासन की ओर से ए.जी.पी. श्री के.के. सुराना उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त रमेशसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री टी.एस. सिसौदिया उपस्थित।

प्रकरण आज आवेदक/अभियुक्त की ओर से **प्रस्तुत नियमित प्रतिभूति आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं** पर आरक्षी केन्द्र से प्रतिवेदन तलबी एवं प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन पर तर्क/आदेश हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र गरोठ से अपराध क. 165/2022 धारा 8/15, 29, 25 एन.डी.पी.एस.एक्ट का प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत **नियमित प्रतिभूति आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं.** संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से गिरफ्तारी के पश्चात् यह प्रथम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके पूर्व कोई जमानत आवेदन पेश नहीं किया गया है, न ही विचाराधीन है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई गुनाह नहीं किया है, वह निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त के घर में उसके अलावा अन्य कोई काम काज करने वाला तथा कमाने वाला नहीं है, ऐसी दशा आवेदक/अभियुक्त के निरोध में होने से उस पर आश्रित परिवारजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदक/अभियुक्त ग्राम मोरड़ी तह. शामगढ़ जिला मंदसौर म.प्र. का निवासी होकर उसकी व उसके परिवारजन की काफी चल अचल संपत्ति वहीं स्थित है। सदर प्रकरण में सहअभियुक्त श्यामलाल, जीतमल, महेश, प्रकाश, रामप्रसाद, मुकेश एवं वरदीचंद की जमानत हो चुकी है तथा प्रकरण में अभियोग पत्र भी पेश हो गया है। प्रकरण के अंतिम निराकरण में अभी काफी समय लगने की संभावना है। जमानत पर रिहा किए जाने पर आवेदक/अभियुक्त कहीं भाग कर जाने वाला नहीं है न ही अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने वाला है। **अतः जमानत आवेदन पत्र 439 दं.प्र.सं. स्वीकार किया जावे।**

आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके भाई प्रकाशसिंह पिता सज्जनसिंह चारण निवासी ग्राम मोरडी तहसील शामगढ़ जिला मंदसौर म.प्र. ने स्वयं का शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसकी गिरफ्तारी के उपरांत इस न्यायालय में यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है, इसके अलावा अन्य किसी भी

न्यायालय में कोई जमानत आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया है न ही विचाराधीन है न ही निरस्त हुआ है।

तर्क के दौरान आवेदक अधिवक्ता ने प्रतिभूति आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह भी व्यक्त किया कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः पालन करेगा और भविष्य में अनुपस्थित नहीं होगा।

जबकि एजीपी ने आवेदन का विरोध करते हुए प्रतिभूति आवेदन को निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

आवेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत नियमित प्रतिभूति आवेदन एवं उक्त आवेदन के संबंध में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में यदि आरक्षी केन्द्र से प्राप्त प्रतिवेदन व प्रकरण का अवलोकन करें तो यह दर्शित होता है कि दिनांक 18.04.2022 को थाना गरोठ के उपनिरीक्षक भारत कटारा द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मय पंचान व हमराह फोर्स के बालौदा तरफ रवाना होकर ग्राम लखमखेड़ी के आगे पहुंचकर एक खेत के पास आड़ में प्राइवेट वाहन व फोर्स को अपनी स्थिति छिपाकर रखने की समझाईश देकर व सादा वर्दी में साथ ले गए आरक्षक 873 पवन को बालौदा फंटे पर मोलाखेड़ी तरफ नजर रखने की समझाईश दी गई, कुछ देर बाद आरक्षक पवन द्वारा मोबाइल से सूचना दी गई कि एक ट्रैक्टर महिन्द्रा नंबर एम.पी. 14 ए.बी. 0484 ट्रॉली सहित मोलाखेड़ी खुर्द तरफ से आता दिखा है। उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली को हमराह फोर्स की मदद से रोककर ड्राइवर व पास बैठै व्यक्ति को ट्रैक्टर से नीचे उताकर उनसे नाम पता पूछने पर ड्राइवर ने अपना नाम मोहन पिता प्यारेलाल निवासी दैथली खुर्द व चालक के पास बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रमेशसिंह पिता सज्जनसिंह निवासी ग्राम मोरडी होना बताया। उक्त दोनों संदेहियों व उनके आधिपत्य के उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली की तलाशी लेने पर ट्रैक्टर की ट्रॉली में से कुल 57 प्लास्टिक के कट्टे भरे मिले, जिनमें से 49 काले रंग के व 8 सफेद रंग थे, उक्त कट्टों में से व्यवसायिक मात्रा का कुल 11 क्विंटल 41 किलोग्राम डोडाचूरा बिना लाइसेंस के रखे हुए बरामद किया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त मोहन व आवेदक/अभियुक्त रमेशसिंह को मौके की संपूर्ण कार्यवाही उपरांत गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आरक्षी केन्द्र गरोठ में अपराध क्रमांक 165/2022 पर धारा 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण अभी आरोप पर तर्क के प्रक्रम पर लंबित है।

आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने तथा आरक्षी केन्द्र से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रकरण के अवलोकन पश्चात् दर्शित होता है कि आरक्षी केन्द्र गरोठ द्वारा प्रकरण के अभियुक्त मोहन व आवेदक/अभियुक्त रमेशसिंह से उनके आधिपत्य की ट्रैक्टर ट्रॉली में से वाणिज्यिक मात्रा के कुल 11 क्विंटल 41 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को बिना लाइसेंस के परिवहन कर ले जाते हुए बरामद किया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोजित अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। **एन.डी.पी.एस.एक्ट की धारा 37 के प्रावधानों के तहत इस स्टेज पर यह नहीं कहा जा सकता**

कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है या वह अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। इस प्रकार धारा 37 एन.डी.पी.एस.एक्ट की बाधा प्रतिभूति के संबंध में उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त प्रकरण के अवलोकन से आवेदक/अभियुक्त रमेशसिंह का अपराध प्रतिभूति पा चुके प्रकरण के अन्य सहअभियुक्तगण के अपराध के समान होना भी दर्शित नहीं होता है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में अनुसंधान के दौरान एकत्रित साक्ष्य, जप्त मादक सामग्री की मात्रा, अभियोजित अपराध की प्रकृति व गंभीरता तथा अभियोजन द्वारा की गई आपत्ति, धारा 37 एन.डी.पी.एस.एक्ट की विधिक बाधा एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त रमेशसिंह को नियमित प्रतिभूति का लाभ दिया जाना न्यायोचित दर्शित नहीं होता है।

अतः **आवेदक/अभियुक्त रमेशसिंह** की ओर से प्रस्तुत **नियिमत प्रतिभूति आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. अस्वीकार कर निरस्त** किया जाता है।

प्रतिवेदन की एक प्रति प्रकरण के साथ संलग्न की जावे।

आदेश की प्रति के संबंधित थाने को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

प्रकरण आरोप पर तर्क हेतु पूर्व नियत दिनांक 05.12.2022 को पेश हो।

एसडी/–
(उत्सव चतुर्वेदी)
अति.विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट
गरोठ, जिला मन्दसौर (म.प्र.)